

राजस्थान सरकार
आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर

क्रमांक: एफ25(6)/सामान्य पत्रावली/2013/1178

दिनांक 07.11.19

- 1- प्राचार्य, समस्त राजकीय महाविद्यालय (पुरुष/महिला/विधि/टी.ए.डी.)।
- 2- सहायक निदेशक क्षेत्रीय कार्यालय, कॉलेज शिक्षा जोधपुर/उदयपुर/बीकानेर/अजमेर/कोटा।
- 3- सचिव/प्राचार्य, समस्त पूर्व अनुदानित संस्थायें।

विषय:- महालेखाकार, आंतरिक जॉच एवं भौतिक सत्यापन ऑडिट रिपोर्ट के बकाया आक्षेपों के निस्तारण की सूचना के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि महालेखाकार एवं निरीक्षण विभाग द्वारा समस्त जॉच संबंधी प्रतिवेदन एवं आक्षेपों के निस्तारण की सूचना संबंधित कार्यालय को सीधे ही भिजवायी जाती है।

अतः बकाया आक्षेपों एवं उनके निस्तारण के संबंध में किसी भी प्रकार की सूचना हेतु महालेखाकार के निरीक्षण प्रतिवेदनों के लिए दूरभाष 9416179363 एवं ई-मेल aogss3@gmail.com पर एवं निरीक्षण विभाग के दूरभाष 9887462180(भौतिक सत्यापन हेतु), 9414783346 (आंतरिक जॉच हेतु) एवं ई-मेल dir-ins-rj@nic.in पर अपने स्तर पर संपर्क कर अद्यतन स्थिति प्राप्त कर सकते हैं।

यदि किसी गंभीर आक्षेप में आयुक्तालय की टिप्पणी/कार्यवाही की आवश्यकता हो तो उक्त आक्षेप की अनुपालना आयुक्तालय के माध्यम से भिजवाये एवं उसके निस्तारण की सूचना आयुक्तालय से प्राप्त करें।

(राज कुमार मीना)
वित्तीय सलाहकार
आयुक्त कॉलेज शिक्षा, जयपुर

क्रमांक: एफ25(6)/सामान्य पत्रावली/2013/1179-80

दिनांक 07.11.19

प्रतिलिपी निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

- 1- समस्त प्रभारी अधिकारी, महाविद्यालय।
- 2- वेबसाइट प्रभारी को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 3- रक्षित पत्रावली।

(राज कुमार मीना)
वित्तीय सलाहकार
आयुक्त कॉलेज शिक्षा, जयपुर